**कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता और भारत पर इसका प्रभाव**

**सोनू कुमार सैनी ( शोधार्थी, श्री कुशाल दास विश्विद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान)**

**सार:**

कृषि पर समझौते (AOA) की शुरुआत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के साथ हुई। GATT के ढांचे के भीतर व्यापार चर्चाओं और यात्राओं के विभिन्न दौर आयोजित किए गए, जिसका समापन एक परिष्कृत व्यापार प्रणाली की स्थापना के रूप में हुआ। वैश्विक व्यापार की देखरेख और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार विशिष्ट संस्था विश्व व्यापार संगठन है। इन वार्ताओं ने कृषि समझौते को भी जन्म दिया, जो राष्ट्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि सब्सिडी और स्थानीय किसानों को अन्य प्रकार की सहायता को कम करने का प्रयास करता है। यह देखते हुए कि कृषि भारत जैसे विकासशील देशों में अधिकांश व्यक्तियों के लिए प्राथमिक आजीविका के रूप में कार्य करती है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि वैश्वीकरण की प्रक्रिया उनके लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। भारत की लगभग 45% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 15% का योगदान करती है। भारत सरकार ने किसानों की कमाई को दोगुना करने के साथ-साथ वर्ष 2022-231 तक कृषि निर्यात को दोगुना करके 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई रणनीतियां लागू की गई हैं। फिर भी, यह जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाइयां कृषि समझौते के लिए देश की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों। AOA के मूलभूत घटक — घरेलू सहायता, बाजार में प्रवेश और निर्यात सब्सिडी — ने कई मोर्चों पर भारत के लिए चुनौतियां पेश की हैं। AOA के कुछ हिस्से जो संपन्न देशों के पक्ष में हैं और जब तक वे AOA दायित्वों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक उन्हें पर्याप्त कृषि सब्सिडी बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं, आम तौर पर गरीब देशों को प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। भारत जैसे विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए, WTO प्रणाली का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। बहरहाल, अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या कृषि समझौता वास्तव में भारत जैसे विकासशील देशों के प्रति निष्पक्षता को कायम रखता है।

**की-वर्ड** - विश्व व्यापार संगठन, कृषि समझौता, बाजार पहुंच, घरेलू सहायता, निर्यात सब्सिडी।

**I. परिचय-** कृषि राष्ट्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर उन देशों में जिन्हें विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ गरीबी में रहने वाली वैश्विक आबादी का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ऐतिहासिक रूप से, सरकारों ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए अधिक झुकाव दिखाया है। हाल के वर्षों में, भारत में कृषि परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति शामिल हैं। हालांकि शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) में कृषि को संबोधित करने वाले खंड शामिल थे, लेकिन यह अपनी कमियों के बिना नहीं था। इन कमियों ने राष्ट्रों को आयात कोटा और सब्सिडी जैसे गैर-टैरिफ तरीकों को लागू करने में सक्षम बनाया, जिससे कृषि व्यापार में महत्वपूर्ण विकृतियां पैदा हुईं। इन विकृतियों को दूर करने के लिए टैरिफ़िकेशन, शुल्कों में कटौती और बाज़ार पहुंच के अवसरों को बढ़ाने जैसे उपाय शुरू किए गए। उरुग्वे राउंड ने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक व्यापार नियम स्थापित करके एक मील का पत्थर साबित किया, जिससे अधिक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा मिला। इस समझौते में गैर-टैरिफ बाधाओं को कृषि वस्तुओं पर शुल्कों में बदलना शामिल था, जिसमें ऐसी बाधाओं को कम करने पर ध्यान दिया गया था। विकासशील देशों को टैरिफ कटौती के लिए अधिक उदार समयसीमा दी गई, जबकि सबसे कम विकसित देशों को इन कटौती से पूरी तरह छूट दी गई थी। यह समझौता सरकारों को उन नीतियों के माध्यम से अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में सक्षम बनाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से समझौता नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, विकासशील और कम विकसित देशों के पास समझौते को इस तरीके से लागू करने की सुविधा है जो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और दायित्वों के अनुरूप हो। इसके विपरीत, कुछ समृद्ध राष्ट्र निर्यात सब्सिडी और घरेलू सहायता जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपने कृषि उत्पादकों की रक्षा करते हैं, जबकि विकासशील देशों पर कृषि में अपने बाजारों और व्यापार नीतियों को उदार बनाने के लिए दबाव डालते हैं। इसलिए, महत्वपूर्ण सवाल यह बना हुआ है कि क्या कृषि पर समझौता (AOA) विभिन्न देशों में कृषि हितों को आगे बढ़ाने में सफल और न्यायसंगत रहा है।

**II. सैद्धांतिक रूपरेखा**-

वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए WTO समझौते की समग्र रूपरेखा को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इन अनुभागों में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य अनुबंध (GATT), सेवाओं में व्यापार पर सामान्य अनुबंध (GATS), और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS) शामिल हैं, जो सभी मूलभूत नियमों को शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों या मुद्दों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य समझौते और परिशिष्ट मौजूद हैं, जैसे कि कृषि, खाद्य सुरक्षा मानक, पौधे और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय, कपड़ा, परिधान, और बहुत कुछ। अंतिम तत्व में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित समय सारिणी शामिल है, जो वस्तुओं और सेवाओं के अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रवेश प्रदान करती है।

**कृषि पर समझौता**-

समझौते ने तीन प्रमुख क्षेत्रों — बाजार पहुंच, स्थानीय सहायता और निर्यात सहायता में कई तरह के नियम और जिम्मेदारियां तैयार की हैं। बाजार में पहुंच — उरुग्वे के युग से पहले, कृषि आयातों को कोटा और वैकल्पिक गैर-टैरिफ तरीकों के माध्यम से सीमाओं का सामना करना पड़ता था। AON ने आयात और निर्यात बाधाओं के साथ-साथ गैर-टैरिफ बाधाओं के उपयोग पर रोक लगा दी और टैरिफिकेशन की शुरुआत की, जिसके तहत कृषि वस्तुओं पर सभी गैर-टैरिफ बाधाओं को अनिवार्य टैरिफ के साथ प्रतिस्थापित किया गया। यह गारंटी देगा कि संदर्भ अवधि के दौरान उचित और निरंतर सुरक्षा प्रदान की जाती है। AOA के अनुच्छेद 4.2 में उन विशिष्ट गैर-टैरिफ उपायों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है जिनका उपयोग पहले कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात के दौरान किया जाता था। इनमें मात्रा-आधारित आयात प्रतिबंध, उतार-चढ़ाव वाले आयात शुल्क, न्यूनतम आयात मूल्य, आयात सजावट पर विवेकाधीन सरकारी प्राधिकरण, स्वैच्छिक निर्यात सीमा समझौते और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों द्वारा तैयार किए गए गैर-टैरिफ उपाय शामिल हैं।

**घरेलू समर्थन**-

विश्व व्यापार संगठन (WTO) खुलेपन को बढ़ावा देने और सरकारी समर्थन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। समझौतों में आंतरिक समर्थन के वर्गीकरण ने इसे दो खंडों में विभाजित किया है, जिनमें से एक वाणिज्यिक गतिविधियों को विकृत करता है जबकि दूसरा नहीं करता है। जिस सहायता का व्यवसाय संचालन पर कम से कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह शानदार “ग्रीनबॉक्स” में अपना स्थान पाती है, जो सूचीबद्ध लोगों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करती है। इसमें सरकारी पहल और प्रत्यक्ष वितरण शामिल हैं, साथ ही विकासशील देशों के लिए उनकी विकास रणनीतियों के तहत तरजीही प्रावधान शामिल हैं। “ब्लूबॉक्स” में समझाया गया हस्तक्षेप उत्पादन पर आने वाली बाधाओं को आंशिक रूप से दूर करने का काम करता है। इस बीच, “एम्बरबॉक्स” में ऐसी सहायता शामिल है जो व्यावसायिक कार्यवाहियों को विकृत करती है, लेकिन प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर। इसके अलावा, हर देश “डी मिनिमिस” समर्थन से लाभान्वित होता है, हालांकि यह कारोबारी माहौल को बाधित करता है। फिर भी, एक निर्दिष्ट उत्पादन प्रतिशत के भीतर समर्थन परिमाण स्थिर रहता है।

**कृषि समिति**-

ई-कृषि समझौते के अनुच्छेद 17 में उल्लिखित शर्तों के तहत, कृषि समिति (CoA) की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को शामिल करते हुए, इस इकाई की देखरेख विश्व व्यापार संगठन के संभावित सदस्यों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ अंतरराष्ट्रीय सरकारी निकायों द्वारा की जाती है। कृषि समझौतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार, समिति कृषि व्यापार के मामलों पर सदस्यों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है, इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से समझौते के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है, और विभिन्न प्रस्तावों के निष्पादन पर विचार करते हुए कृषि पद्धतियों में संशोधनों को उकसाती है। आमतौर पर, समूह तीन वार्षिक सत्रों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर आगे की बैठकों की संभावना होती है।

**V. कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते पर भारत की प्रतिबद्धताएँ-**

कृषि विश्व व्यापार संगठन के भीतर चर्चा का केंद्र बिंदु है। भारत के लिए, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के मामले में बड़ी आबादी को बनाए रखने के लिए कृषि पर निर्भरता के कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24% है, लगभग 69% आबादी अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक होने के बावजूद, अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आउटपुट के साथ तुलना करने पर प्रति एकड़ भारत की उपज तुलनात्मक रूप से कम रहती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन के जवाब में, भारत ने सामाजिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते में बाजार पहुंच से संबंधित शर्तों को लागू करने में विफलता हुई है। बहरहाल, भारत ने 100% प्राथमिक कृषि वस्तुओं, 150% प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और 300% खाद्य उत्पादों को कड़े परीक्षण के अधीन करने की पहल की है। कुछ कृषि वस्तुएं जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, चावल, मक्का और बाजरा या तो प्रतिबंधित हैं या उनके न्यूनतम व्यापार भत्ते हैं। दिसंबर 1999 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के अनुच्छेद XXVIII के तहत आवश्यकताओं को रद्द करने के परिणामस्वरूप बाध्यकारी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, भारत विशेष रूप से बाजार की कीमतों का समर्थन करने के बजाय, उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी देने से बचता है। विशेष रूप से, कृषि वस्तुओं के भारतीय निर्यातकों को निर्यात पर सीधी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। इसके बजाय, उन्हें सहायक आयकर अधिनियम की धारा 80-HHC के तहत आयकर छूट मिलती है, जो फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादों के निर्यात के लिए माल ढुलाई लागत पर सब्सिडी के रूप में काम करती है।

**निर्यात सब्सिडी**-

AOA ने कृषि निर्यात सब्सिडी को अमान्य करने की घोषणा की है, जिन्हें कानूनी नहीं माना जाता है, जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियों में न हो। इस मामले को समझौते के अनुच्छेद 3.3 और 8 में संबोधित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी, कम कीमतों पर स्टॉक का गैर-वाणिज्यिक संचय, साथ ही सरकार द्वारा वित्त पोषित कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए सब्सिडी शामिल है। नतीजतन, अनुच्छेद 9.1 के अनुसार, किसी भी निर्यात से संबंधित कृषि उत्पाद को सब्सिडी के साथ कम करना अस्वीकार्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों के पास अलग-अलग और भेदभावपूर्ण उपचार खंडों के तहत कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार हैं, जिससे वे निर्यात सब्सिडी की पेशकश कर सकते हैं। इन देशों के पास भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कमी को कम करने के लिए निर्यात को सीमित करने का अस्थायी विशेषाधिकार है। यह GATT के अनुच्छेद XI: 2 (a) और कृषि समझौते 5 के अनुच्छेद 12 में निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रतिबंध को लागू करने से पहले, खाद्य निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले देशों को आयात करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, आयात-निर्भर देशों में खाद्य आयात की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए, विकासशील देशों में बुनियादी खाद्य पदार्थों के आयात को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। मूलभूत कार्यक्रम के संभावित लाभकारी प्रभावों से संबंधित उपायों पर संधि के भीतर एक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, यह सहमति से निर्णय लिया गया कि कृषि निर्यात क्रेडिट के संबंध में कोई भी समझौता निम्न-विकसित और बुनियादी खाद्य-आयात करने वाले देशों के सहयोग से स्थापित किया जाना चाहिए।

**कृषि समिति-**

ई-कृषि समझौते के अनुच्छेद 17 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत, कृषि मामलों की देखरेख के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कृषि समिति (CoA) की स्थापना की गई थी। इस समिति में न केवल विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य शामिल हैं, बल्कि इसमें संभावित WTO सदस्यों के साथ-साथ कुछ वैश्विक सरकारी संस्थाओं की देखरेख भी शामिल है जो सीधे कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हैं। समिति की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है विभिन्न कृषि समझौतों के निष्पादन की कड़ी निगरानी और पर्यवेक्षण करना। इसके अतिरिक्त, यह अपने सदस्यों को रचनात्मक प्रतिक्रिया देने, कृषि गतिविधियों से संबंधित मामलों पर आपस में परामर्श को प्रोत्साहित करने, पूछताछ और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समझौते के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और आवश्यक समझे जाने पर कृषि पद्धतियों में संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, समिति कृषि व्यापार के संदर्भ में किए गए विविध निर्णयों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहती है। अपने नियमित संचालन के हिस्से के रूप में, समूह आम तौर पर सालाना तीन सत्र आयोजित करता है, हालांकि प्रासंगिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित करने का प्रावधान मौजूद है।

**V. कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते पर भारत की प्रतिबद्धताएँ**-

कृषि विश्व व्यापार संगठन के भीतर प्रवचन के प्राथमिक केंद्र बिंदुओं के साथ लगातार मेल खाती है। खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के मामले में अपनी विशाल आबादी को बनाए रखने के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यह क्षेत्र भारत के राष्ट्र के लिए अधिक महत्व रखता है। भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24% है, जिसमें 69% आबादी अपने जीवन के साधनों के लिए कृषि गतिविधियों पर निर्भर है। भारत विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कृषि उत्पादक के रूप में खड़ा है; फिर भी, अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए उत्पादन की तुलना में उत्पादकता का स्तर उल्लेखनीय रूप से कम है। भारत में धार्मिक सीमाएं लागू करना भुगतान संतुलन के प्रतिकूल परिदृश्य के कारण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में उल्लिखित कृषि व्यापार पहुंच के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में देश की विफलता हुई। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत ने 100% प्राथमिक कृषि वस्तुओं, 150% प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और 300% खाद्य उत्पादों को कठोर परीक्षण उपायों के अधीन करने का निर्णय लिया है। कुछ कृषि वस्तुओं जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, चावल, मक्का और बाजरा पर या तो कोई शुल्क नहीं लगता था या उन पर न्यूनतम शुल्क लगता था। वर्ष 1999 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद XXVIII के तहत अनिवार्य वार्ताओं को समाप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दायित्व दरों में उल्लेखनीय कमी आई।

**VI. शामिल मुद्दे**-

कृषि निर्यात को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण उपाय है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ, भारत की सीमाओं के भीतर अर्थव्यवस्था की उन्नति और वृद्धि को बढ़ावा देना है। भारत राष्ट्र कृषि नीतियों के एक समूह का परिश्रमपूर्वक पालन कर रहा है, जो अपनी आबादी के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई हैं, जबकि कृषि पर समझौते (AoA) के तहत विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित नियमों को समवर्ती रूप से बनाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन के दायरे में, भारत खुद को असंख्य चुनौतियों से जूझता हुआ पाता है, जो घरेलू समर्थन, बाजार में प्रवेश, निर्यात सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा की सर्वोपरि चिंता जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि AoA, अपने व्यापक उद्देश्यों के बावजूद, कुछ ऐसे पहलुओं को बरकरार रखता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के निहित स्वार्थों के विपरीत हैं, जिससे घरेलू सब्सिडी के अनुशासन के भीतर असमानता पैदा हो सकती है, जो कृषि व्यवसाय संचालन के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकती है। विशेष रूप से, विकसित देशों के ठोस प्रयासों के कारण घरेलू सहायता का दायरा नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा, AoA अपने सदस्यों को अप्रत्याशित परिस्थितियों के जवाब में विशेष आकस्मिक उपाय करने का विशेषाधिकार देता है, जिससे उनके संबंधित क्षेत्रों को कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव या आयात में वृद्धि से बचाया जा सकता है। हाल ही में CoA विचार-विमर्श में एक आवर्ती रुझान देखा गया है, जिसमें भारत की सहायक पहल विश्व व्यापार संगठन के भीतर निरंतर जांच के दायरे में आ गई हैं, जो जांच पूछताछ के रूप में प्रकट होती हैं। विशेष रूप से विवाद का विषय भारत की मूल्य-सहायता योजना है, जो इसके खाद्य सुरक्षा ढांचे के मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है, और इसके परिणामस्वरूप इसे विश्व व्यापार संगठन के परिसर के भीतर निंदा के अधीन किया गया है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि गरीबी रेखा के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों को AoA द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से जीविका तक पहुंच प्रदान की जाए। 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के साथ दो-तिहाई आबादी को शामिल करने के लिए वितरण नेटवर्क के विस्तार पर, घरेलू नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के बीच जटिल अंतर को रेखांकित करते हुए, विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक मंच पर आपत्तियां उठाई गईं।

**सुझाव और निष्कर्ष-**

भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए, पोषण तक पहुंच की गारंटी केवल लॉजिस्टिक्स से परे है और मूलभूत स्तर पर आत्मनिर्भरता की मजबूत भावना को विकसित करने तक फैली हुई है। यह न केवल जीविका के लिए अनिवार्य है, बल्कि यह राष्ट्रीय लचीलापन और सशक्तिकरण की आधारशिला के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा, भारत में कृषि परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, क्योंकि किसानों की आजीविका अधर में लटक गई है, भारी सब्सिडी वाले आयातों की आमद से खतरा है, जो बाजार के नाजुक संतुलन को बाधित करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषता वाली निर्भरता के जटिल जाल से पता चलता है कि 9 से अधिक देशों में से 50%, जो विकास की प्रक्रिया में हैं, अपने समुदायों की जीवनरेखा के रूप में कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इन कमजोरियों को दूर करने के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार करते हुए, इन देशों की खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए नवीन रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। ऐसी ही एक अग्रणी पहल 'फूड सेफ्टी बॉक्स' का रूप लेती है, जो एक व्यापक ढांचा है, जिसे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है -

**i.** किसी भी न्यूनतम बाजार तक पहुंच प्रदान करने के दायित्व से मुक्त होना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह छूट अद्वितीय बाजार रणनीतियों और नवीन दृष्टिकोणों के लिए संभावनाएं खोलती है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों को समान रूप से लाभान्वित कर सकती हैं।

**ii** खाल और चमड़े के अलावा, प्राथमिक कृषि उत्पादों जैसे रबर, प्राथमिक वन उत्पाद, जूट, कॉयर, और अन्य को AOA उत्पादों की सूची में शामिल करना सर्वोपरि है, जो प्रारंभिक समझौते का केंद्र बिंदु होगा। ये उत्पाद कई देशों के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जो ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि और कृषि विविधीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं।

यह पहल भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जो आबादी के एक बड़े प्रतिशत को सहारा देती है। WTO समझौतों के ढांचे के भीतर, कृषि पर समझौता (AOA) भारत जैसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आता है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और एक सुरक्षित, पूर्वानुमेय वैश्विक कृषि बाजार स्थापित करना है।

भारत में कृषि क्षेत्र पर डब्ल्यूटीओ समझौतों के प्रभाव की पेचीदगियों को समझने से चुनौतियों और अवसरों के बहुआयामी परिदृश्य का पता चलता है। पिछले अध्ययनों ने भारतीय कृषि बाजार पर इन समझौतों और व्यापार उदारीकरण के प्रयासों के नतीजों का आकलन करने का प्रयास किया है। हालांकि, परिणाम अक्सर निराशाजनक रहे हैं, जो राष्ट्रों के बीच के सूक्ष्म अंतर और उदारीकरण नीतियों के विविध प्रभावों को समझने में विफल रहे हैं।

इसके अलावा, AOA के तहत विशेष और विभेदक उपचार का प्रावधान विकासशील देशों के लिए उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और सीमाओं को स्वीकार करते हुए छूट की अनुमति देता है। फिर भी, भारत जैसे विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में इन प्रावधानों का व्यावहारिक अनुप्रयोग बहुत सरल है। कई विकसित देशों के विपरीत, भारत में कृषि का विशुद्ध रूप से व्यवसायीकरण नहीं किया जाता है; यह छोटे पैमाने पर, निर्वाह करने वाले किसानों की आजीविका के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिनके पास आय के वैकल्पिक स्रोतों की कमी है।

नतीजतन, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना इन किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अधीन करना व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। इसलिए, विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर कृषि व्यापार नीतियां बनाते समय, विशेष रूप से विकासशील देशों के विविध कृषि परिदृश्यों पर विचार करते समय, करुणा और दूरदर्शिता के साथ उनसे संपर्क करना अनिवार्य है।

**संदर्भ**

**1. बिस्वजीत धर**, डब्ल्यूटीओ की खाद्य और कृषि सब्सिडी व्यवस्था की जांच: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टंग-दक्षिण एशिया (2021), https://focusweb.org/wpcontent/uploads/2021/02/Interrogating-the-Food-2021.pdf

2**. डब्ल्यूटीओ और भारतीय कृषि मुद्दे**, चिंताएं और संभावित समाधान, नीति पत्र 102, एनएएएस, नई दिल्ली (2021), http://naas.org.in/Policy%20Papers/policy%20102.pdf

3**. आर. उल्लामुदैयार** और डॉ. पी. बाला सुब्रमण्यम, भारतीय कृषि क्षेत्र पर डब्ल्यूटीओ का प्रभाव, खंड 2 नंबर 4, आईएसएसएन: 2319-961X (2014), http://www.shanlaxjournals.in/pdf/ECO/V2N4/ECO\_V2\_N4\_003.pdf

4**. कारमेन जी.** गोंजालेज, असमानता को संस्थागत बनाना: कृषि, खाद्य सुरक्षा और विकासशील देशों पर डब्ल्यूटीओ समझौता, 27 कॉलम. जे. ईएनवीटीएल. एल. 433 (2002)। https://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/415 साहित्य समीक्षा

5. **ज़ियाओज़ेन ली** और वेई वांग, कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता: एक विकासशील देश का परिप्रेक्ष्य, 1 जे. पीओएल. और एल. 19 (2008)

6. **डब्ल्यूटीओ समझौते** श्रृंखला कृषि, विश्व व्यापार संगठन, तीसरा संस्करण, https://www.wto.org/english/res\_e/booksp\_e/agric\_agreement\_series\_3\_e.pdf